

20-6
24

पत्रावली वेश हुई। पत्रार्थ व वकील पत्रार्थ
अपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थित रहने के कारण
पत्रार्थ - पत्र से संबंधित भूल दवा अदम
पैरवी अदम धाजरी में स्वारिज हो चुका है।
जिससे यह पत्रार्थ - पत्र आगे चलने योग्य
नहीं है।

अतः यह पत्रार्थ - पत्र इसी स्तर पर
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गम में
शुमार की जावे तथा तस्वीब तर्कील की
जाकर दाखिल दफतर की जावे। 18

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)